इजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 20/2022 तारीख दायरा 09.03.2022

उनवान

शीलाबाई पुत्री परसराम पत्नि दिनेश मेहरा जाति मेहर निवासी मोईखुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा हाल मवासा तहसील छीपाबडोद जिला बांरा। – वादिनी

बनाम

राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद। – प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 209 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :–

श्री मोहन लाल पोटर (वकील वादी) दिनांक :– 12.03.2022

श्री सरकार पैरोकार

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA 1 रु. Re.1 एक रुपया ONE RUPEE FOR COPYING FEES ONLY

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम डोबडा पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की खाता सख्या नई 60 पुरानी 57 के ख.न. 207 की 0.05 है., ख.न. 462 की 0.20 है., ख.न. 468 की 0.02 है., ख.न. 469 की 0.36 है., ख.न. 470 की 1.30 है., ख.न. 478 की 0.45 है.

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

6 किता की कुल 2.38 है. आराजी में वादिनी का नाम अधिकार अभिलेख में देनी के पिता की मृत्यु होने पर फौती इन्तकाल दर्ज होने पर पटवार हलका द्वारा देनी का गांव में बोलने वाला नाम कैलाश ही दर्ज कर दिया जो आज दर्ज है जबकि दिनी का आधार कार्ड, जन आधार, पुराने राशन कार्ड, बैंक पास बुक इत्यादि सभी स्तावेजात में शीलाबाई पुत्री परसराम पत्नि दिनेश मेहरा जाति मेहर निवासी मोईखुर्द हसील सांगोद जिला कोटा राज हाल मवासा तहसील छीपाबडौद जिला बांरा है। साथ वादिनी आधार या अन्य रेकार्ड अनुसार 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है तथा दिनी ने प्रतिवादी को बालिग होने के दस्तावेज देने पर भी बालिग दर्ज नहीं किया है। ादिनी के ही दो नाम गांव में बोलने वाला नाम व रेकार्डेड नाम है लेकिन दो अलग–अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति है, वादिनी के अलावा ओर कोई व्यक्ति उक्त खाते व नाम का नहीं है।

विवादित आराजी में से भूमि अवाप्ति अधिकारी परवन वृहद सिंचाई परियोजना की नहर के लिए भूमि को अवाप्त किया जाकर वादिनी को खाते दर्ज गलत नाम का चैक जारी किया है जिनको वादिनी ने अपने बैंक के प्रबन्धक को बताने पर चैक को बैंक खाते के नाम जारी करवाने की कही। इस पर वादिनी भूमि अवाप्ति अधिकारी के पास गई तो उन्होंने खाते में नाम सही करवाने की कही। इसके बाद वादी ने प्रतिवादी से निवेदन किया लेकिन आज तक वादी का नाम सही नहीं किया है इस कारण से वादी को वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिनी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की घोषणा कर डिकी सादिर पारित फरमाई जावे कि :–

प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रतिलिपि अधिकारी, सांगोद

सबडिवीजनल मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

एक रुपया ONE RUPEE
FOR COPYING FEES ONLY
COURT FEE
Re.1

माल ग्राम डोबडा पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा स्थान की खाता सख्या नई 60 पुरानी 57 के ख.न. 207 की 0.05 है., ख.न. 462 की) है., ख.न. 468 की 0.02 है., ख.न. 469 की 0.36 है., ख.न. 470 की 1.30 है., ख.न. 3 की 0.45 है. कुल 6 किता की कुल 2.38 है. आराजी में दर्ज वादिनी के गलत नाम लाश पुत्री परसराम के स्थान पर शीलाबाई पुत्री परसराम पत्नि दिनेश मेहरा जाति र निवासी मोईखुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा दर्ज करने की कृपा करें साथ ही बालिक की जगह बालिग दर्ज करें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तिवादी की तलबी की गई। उक्त पत्रावली दिनांक 12.3.2022 को राष्ट्रीय लोक दालत में मुख्यालय उपखण्ड न्यायालय सांगोद में रखी गई, प्रतिवादी ने उपस्थित होकर वाद में राजहित प्रभावित नहीं होना स्वीकार किया। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य तथा जवाब प्रतिवादी से यह जाहिर होता है कि वादिनी ने उनके वाद पत्र में जो कथन किये हैं वे सत्य हैं। ऐसी स्थिति में वादिनी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से अंतिम रूप से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम डोबडा पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की खाता सख्या नई 60 पुरानी 57 के ख.न. 207 की 0.05 है., ख.न. 462 की 0.20 है., ख.न. 468 की 0.02 है., ख.न. 469 की 0.36 है., ख.न. 470 की 1.30 है., ख.न. 478 की 0.45 है. कुल 6 किता की कुल 2.38 है. आराजी में दर्ज वादिनी के गलत नाम कैलाश पुत्री परसराम के स्थान पर शीलाबाई पुत्री परसराम पत्नि दिनेश मेहरा जाति मेहर निवासी मोईखुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा दर्ज किया जावें एवं नाबालिग की जगह बालिग दर्ज किया जाकर इन्द्राज दुरस्त किये जाने के आदेश दिये

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

ाते है। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज पृथम होने के ारण रहन भार यथावत रहेगा। डिक्री पर्चा प्रथक से जारी किया जावें।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

फर्द डिकी मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 20/2022 तारीख दायरा 09.03.2022

उनवान

शीलाबाई पुत्री परसराम पत्नि दिनेश मेहरा जाति मेहर निवासी मोईखुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा हाल मवासा तहसील छीपाबडोद जिला बांरा। – वादिनी

बनाम

राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद। – प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 209 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :–

दिनांक :– 12.03.2022

श्री मोहन लाल पोटर (वकील वादी)

श्री सरकार पैरोकार

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री मोहन लाल पोटर मिन जानिब मुदई रूबरू श्री .... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि –

माल ग्राम डोबडा पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की खाता सख्या नई 60 पुरानी 57 के ख.न. 207 की 0.05 है., ख.न. 462 की 0.20 है., ख.न. 468 की 0.02 है., ख.न. 469 की 0.36 है., ख.न. 470 की 1.30 है., ख.न. 478 की 0.45 है. कुल 6 किता की कुल 2.38 है. आराजी में दर्ज वादिनी के

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

गलत नाम कैलाश पुत्री परसराम के स्थान पर शीलाबाई पुत्री परसराम पत्नि दिनेश मेहरा जाति मेहर निवासी मोईखुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा दर्ज किया जावें एवं नाबालिग की जगह बालिग दर्ज किया जाकर इन्द्राज दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद ,कोटा

क्रमांक- 2022/381

दिनांक- 9/5/22

तहसीलदार,

तहसील सांगोद।

विषय:- इजराय संख्या 43/2022 उनवान शीलाबाई बनाम सरकार मुताबिक निर्णय पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयांन्तर्गत लेख है कि मिसल नं0 20/2022 उनवान शीलाबाई बनाम सरकार के न्यायालय में दिनांक 12.3.22 को निर्णय-डिक्री पारित किया जा चुका है। पत्र के साथ पुनः निर्णय डिक्री की छाया प्रति भिजवायी जा रही है। अतः प्रकरण में मुताबिक निर्णय (अगर किसी अन्य उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश न हो) आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.6.22 से पूर्व पालना करना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- निर्णय डिक्री की छाया प्रति

अंजना सहरावत
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
उपखण्ड अधिकारी

सांगोद

43/22

/

कार्यालय तहसीलदार (भू0 अभि0) सांगोद जिला कोटा

क्रमांक/LR/2023/784

दिनांक– 16/03/23

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

सांगोद।

विषयः– न्यायालय से जारी डिक्री आदेशों की पालना बाबत्।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के न्यायालय प्र0 सं0 20/2022 उनवान शीलाबाई / राज्य सरकार में जारी डिक्री दिनांक. 09/03/22 की पालना में ग्राम डोबड़ा में नामान्तरकरण सं 390 दिनांक 26/5/22 को दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना कर दी गयी है। नकल जमाबंदी संलग्न है। इसमें कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

अतः पालना रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू0 अभि0)

तहसील सांगोद जिला कोटा

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

म :- डोबड़ा
का :- दीगोद
:- सांगोद
सांगोद
कोटा

सम्वत :- 2073 - 2076
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 60
खाता संख्या पुराना :- 57

का नाम:-
बालिग पुत्री परसराम हिस्सा- 1/7 जाति- मेहर सा. मोईखुर्द खातेदार
बालिग नरेश पुत्र परसराम सरंक्षक नाबा. की वली माता खुद हिस्सा- 1/7 जाति- मेहर सा. मोईखुर्द खातेदार
बालिग प्रदीप पुत्र परसराम सरंक्षक नाबा. की वली माता खुद हिस्सा- 1/7 जाति- मेहर सा. मोईखुर्द खातेदार
न्द बालिग पुत्र परसराम हिस्सा- 1/7 जाति- मेहर सा. मोईखुर्द खातेदार
बालिग परमानन्द पुत्र परसराम सरंक्षक नाबा. की वली माता खुद हिस्सा- 1/7 जाति- मेहर सा. मोईखुर्द खातेदार
पत्नि स्व. परसराम हिस्सा- 1/7 जाति- मेहर सा. मोईखुर्द खातेदार
बाई पुत्री परसराम हिस्सा- 1/7 जाति- मेहर सा. मोईखुर्द खातेदार,

संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
						स्वीक्रत नामांतरकरण : 390 26/05/2022 न्याया. आदेश	
	0.0500	खेड़ा	0.0500	0.80			
	0.2000	चाही द्वितीय	0.2000	5.40			
	0.0200	चाही द्वितीय	0.0200	0.54			
	0.3600	चाही द्वितीय	0.3600	9.72			
	1.3000	चाही द्वितीय	1.3000	35.10			
	0.4500	चाही तृतीय	0.4500	9.90			
-6	2.3800		2.3800	61.4600			

केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।